


## वर्दशी व्वापार नीति 2023

# विदेश व्वापार नीति 2023



### भारत का निर्यात लक्ष्य

वर्ष 2030 तक USD 2 ट्रिलियन ( सेवाओं और व्वापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित )

वर्तमान परिदृश्य: USD 750+ बिलियन ( सेवाओं और व्वापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित )

### FTP 2023 के 4 स्तंभ:

- छूट के लिये प्रोत्साहन।
- सहयोग के माध्यम से निर्यात संबर्द्धन - निर्यातक, राज्य, ज़िले।
- व्वापार करने में सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और ई-पहल।
- उभरते क्षेत्र- ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में ज़िलों का विकास करना एवं SCOMET नीति को सुव्यवस्थित करना।

### SCOMET

विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है

स्कोमेट दोहरे उपयोग वाली वस्तुएँ हैं: नागरिक और साथ ही सैन्य अनुप्रयोग ( सामूहिक विनाश के हथियार )

### नए अवयव

- ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देशों की घोषणा की जाएगी
- भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण
- ज़िला निर्यात हब: ज़िला और राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों की स्थापना की जाएगी।
- मर्चेंटिंग व्वापार सुधार

### शुरू की गई योजनाएँ/सुधार

- एमनेस्टी योजना:
  - निर्यातकों के लिये; लंबित प्राधिकरण बंद करना और नए सिरे से शुरू करना
- निर्यात उत्कृष्टता योजना वाले शहर:
  - 4 नए निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर ( TEE ) घोषित - फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी ( अब कुल 43 TEE )
  - TEE के पास निर्यात प्रोत्साहन निधियों तक पहुँच में प्राथमिकता होगी
- स्टेटस होल्डर योजना:
  - स्थिति पहचान मानदंडों का पुनः परीक्षण किया जाएगा
  - 2-सितारा और उससे ऊपर के स्तर के धारकों को इच्छुक व्यक्तियों को व्वापार-संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा
- EPCG योजना
  - पीएम मित्र, EVs और ग्रीन टेक को EPCG लाभ प्राप्त होंगे
  - डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है
- अग्रिम प्राधिकरण योजना ( AAS )
  - निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिये कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात ( घरेलू टैरिफ क्षेत्र द्वारा एक्सेस के आधार पर )
  - परिधान/वस्त्र क्षेत्र के निर्यात के लिये विशेष AAS का विस्तार ( स्व-घोषणा के आधार पर )